[29/7/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 920]

①

प्रश्न क्रमांक- 920
माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा

परिशिष्ट "अ"

रीवा जिले के सेमरिया थाना अन्तर्गत दिनांक 11/11/2024 को अजय केवट की हत्या की जॉच एस.आई.टी. द्वारा कराये जाने की जानकारी ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक- 38, दिनांक 18-12-2024 (सदन में चर्चा दिनांक 19-12-2024) में नहीं दी गई थी, अपितु यह बताया गया था की-

"शेष आरोपियों की अपराध में भूमिका के संबध में विवेचना एसडीओपी सिरमौर के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम द्वारा की जा रही है।"

एस.आई.टी. के गठन का आदेश परिशिष्ट (अ') पर संलग्न है। प्रकरण में एसआईटी द्वारा किया जा रहा अनुसंधान जारी है, अतः विवेचना में कार्यवाही की प्रतियां एवं संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण की एफ.आई.आर. में नामजद 06 आरोपियों में 02 आरोपी हनुमान सिंह एवं अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया गया एवं इनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपी चंदन सिंह, अभिषेक सिंह, पवन सिंह एवं कृष्णपाल सिंह के विरूद्ध विवेचना जारी है। विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा।

(पुलिस) विभाग, बी (1) भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रीवा (म0प्र0)

//आदेश//

थाना सेमरिया जिला रीवा के अप0क0–617/2024 धारा 103(1), 296, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण के अनुसंधान एवं अभियुक्त को प्रकाश में लाये जाने हेतु श्री उमेश प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरमौर जिला रीवा के नेतृत्व मे टीम (SIT) का गठन किया जाता है। टीम मे लगे सभी अधिकारी/कर्मचारियो को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे सभी पहलुओं पर बारीकी से अनुसंधान कर ठोस साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपियों को प्रकाश में लाया जाकर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर प्रकरण का वैद्यानिक निराकरण करे, एवं की गई कार्यवाही की प्रगति से प्रत्येक 03–03 दिवस में मुझे अवगत करावेगें। टीम का गठन निम्नानुसार है:–

1– श्री उमेश प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरमौर जिला रीवा
2– निरीक्षक जय प्रकाश पटेल, थाना प्रभारी सिरमौर जिला रीवा – (विवेचक)
3– निरीक्षक विजय सिंह बघेल थाना प्रभारी बैंकुण्ठपुर जिला रीवा
4–उपनिरीक्षक गौरव मिश्रा, सायबर सेल जिला रीवा रीवा
5– उपनिरीक्षक रामयश रावत थाना सेमरिया जिला रीवा
6– आरक्षक 1132 अंकित दुबे चौकी जुड़वानी थाना सेमरिया
7– आरक्षक 1173 अतुल पाण्डे चौकी शाहपुर थाना सेमरिया

पुलिस अधीक्षक
रीवा

क्रमांक/पु0अ0/रीवा/रीडर/ 810 /2024 दिनांक– 16/11/2024

प्रतिलिपि–

1– पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा की ओर सादर सूचनार्थ।
2– पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा की ओर सादर सूचनार्थ।
3– अति0 पुलिस अधीक्षक, (शहर/देहात) जिला रीवा को पालनार्थ।
4– अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरमौर जिला रीवा को पालनार्थ ।
5– थाना प्रभारी सिरमौर/बैकुण्ठपुर/सेमरिया/ प्रभारी सायबर सेल जिला रीवा, की ओर सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
6– टीम मे शामिल अधिकारी/कर्मचारी गणो की ओर संबंधित थाना प्रभारी द्वारा सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
रीवा

PS. सेमरिया
2255/2024
20/11/2024

मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

(1)

प्रश्न क्रमांक- 920

माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा

परिशिष्ट "ब"

प्रकरण में शेष चार आरोपियों के संदर्भ में श्री उमेश प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरमौर, जिला रीवा के नेतृत्व में गठित एस.आई.टी. द्वारा विवेचना की जा रही है। अतः अन्य एस.आई.टी. / उच्च स्तरीय जॉच समिति नहीं गठित की गई।

साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिये गए 164 के कथनों में उल्लेखित तथ्यों के विषय पर समर्थक साक्ष्य हेतु विवेचना जारी है। विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

मध्य प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, बी (1) मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner